अध्याय

4

# वित्तीय परिव्यय एवं परिणाम

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

# वित्तीय परिव्यय एवं परिणाम

पिछले दो वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत बजट प्रावधानों तथा व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

**(करोड़ रु. मे)**

| वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | व्यय | सं.अ. के संबंध में व्यय का % |
|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 300.00 | 500.00 | 484.05 | 96.81 |
| 2017-18 | 685.00 | 685.00 | 585.00 (दि.–2017 तक) | 85.40 |

वित्तीय वर्ष 2016.17 के दौरान, 300.00 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान में बढ़ा कर 500.00 करोड़ रु.) की बजटीय राशि में से 484.05 करोड़ रु. उपयोग में लाए गए थे। उपयोग में न लायी गई 15.95 करोड़ रुपए की राशि मुख्यत: पूर्वोत्तर क्षेत्र (14 करोड़ रु.) के लिए अनिवार्य प्रावधान से संबंधित है। चालू वित्त वर्ष (2017–18) का केन्द्रीय क्षेत्र योजना आबंटन 685.00 करोड़ रुपए है। इसमें से दिसम्बर, 2017 तक 585.00 करोड़ रुपए की राशि उपयोग में लायी गई है जो कुल योजना आबंटन का 85.40% है। वित्तवर्ष 2018–19 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए आबंटन 710 करोड़ रुपए रखा गया है।

2018.19 के लिए अन्य योजना/कार्यक्रम घटक 60.91 करोड़ रुपए है जिसमें मुख्यतः सचिवालय (आर्थिक सेवाएं)ए कोयला नियंत्रक का संगठनए कोयला खान पेंशन योजनाए 1998 के अधीन अपेक्षित सांविधिक सरकारी अशंदान का भुगतान और कोयला ब्लाकों की नीलामी के लिए नवगठित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अपेक्षित निधियां शामिल हैं।

कोयला पीएसयू के लिए वार्षिक योजना (2018–19) का घटक 15798.69 करोड़ रुपए है जिसका प्रावधान आंतरिक तथा अतिरिक्त बजट संसाधनों से किया जाना है। पीएसयू–वार विस्तृत रूपरेखा तथा व्यय नीचे दिया गया

**(करोड़ रुपए में)**

| पीएसयू का नाम | 2016-17 | | | 2017-18 | | | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ब.अ. | सं.अ. | व्यय | ब.अ. | सं.अ. | व्यय (दिस. 16 तक) | ब.अ. |
| सीआईएल | 7765.00 | 7765.00 | 7700.06 | 8500.00 | 8500.00 | 3557.50 | 9500.00 |
| एनएलसी | 6278.92 | 9437.96 | 4575.68 | 8948.12 | 4578.00 | 1857.21 | 4298.69 |
| एससीसीएल | 2300.00 | 2300.00 | 2013.55 | 1600.00 | 1400.00 | 934.30 | 2000.00 |
| कुल | 16343.92 | 19502.96 | 14289.29 | 19048.12 | 14478.00 | 6349.01 | 15798.69 |

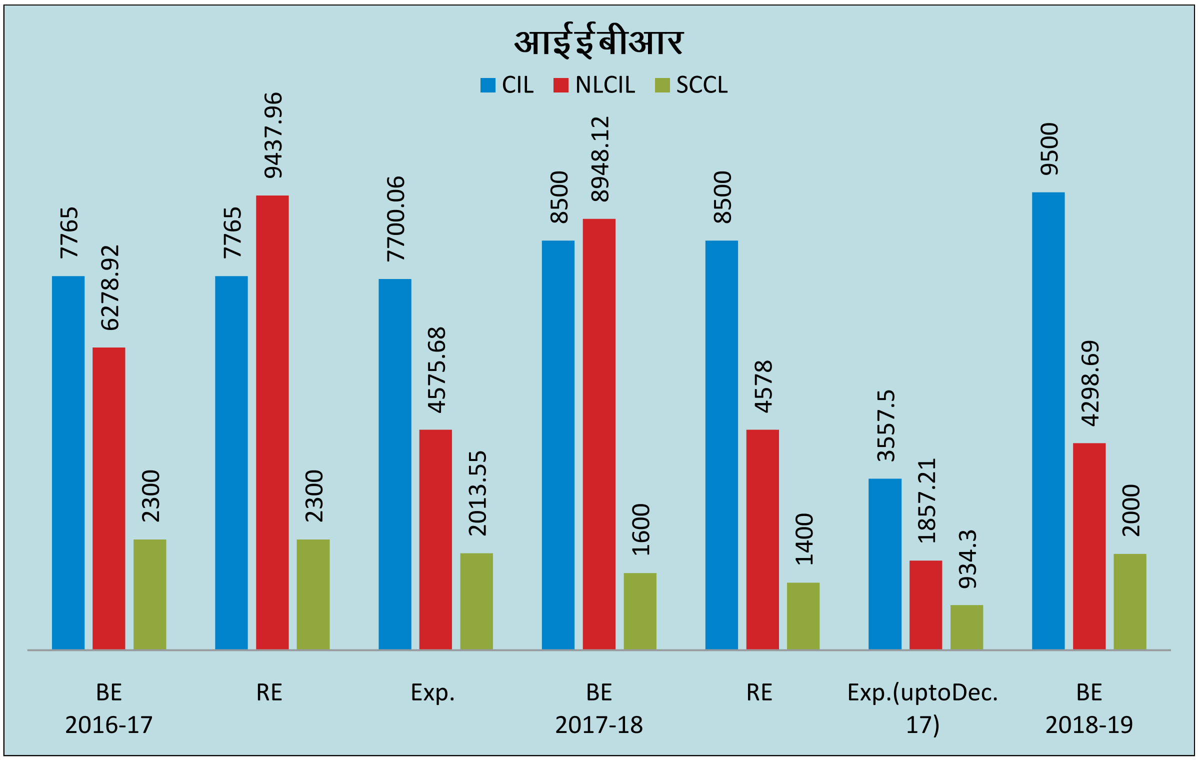


चालू वित्त वर्ष 2018–19 के लिए योजना/कार्यक्रम–वार नीचे दिया गया हैं :–

(करोड़रुपए में)

| क्र.सं | स्कीम/कार्यक्रम का नाम | | राजस्व |
|---|---|---|---|
| 1. | सचिवालय आर्थिक सेवाएँ | | 23.24 |
| 2. | सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आंशिक प्रतिपूर्ति सहित कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (सीएमपीएस–98) | | 23.00 |
| 3. | कोयला नियंत्रक संगठन | | 10.78 |
| 4. | नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी | | 3.89 |
| 5. | अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम | | 10.00 |
| 6. | कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा तथा अवसंरचनात्मक विकास | कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा | 59.50 |
| | | कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास | 140.00 |
| | | पर्यावरण उपाय और धंसाव नियंत्रण | 0.50 |
| 7. | अन्वेषण और विस्तृत ड्रिलिंग | कोयला और लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण | 150.00 |
| | | गैर–सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण | 350.00 |
| 10. | कुल | | 770.91 |

## लेखा परीक्षा पैरा

2017 की रिपोर्ट सं. 9 के लेखा परीक्षा पैरा 3.2 तथा 3.5 2017 की रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 6.1 की मौजूदा स्थिति अनुबंध – I में दी गई है।